

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:-

एमपी 5 (सेवानियुक्त अधिकारी)

प्र.1- पारिवारिक पेंशन पात्रता की संयुक्त अधिसूचना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- पारिवारिक पेंशन पात्रता की संयुक्त अधिसूचना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:-

(क) परिशिष्ट-1 (तीन प्रतियों में)

(ख) एलपीसी-सह-डाटा-शीट

(ग) पति की जन्मतिथि का प्रमाण जैसे पैन कार्ड/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/पासपोर्ट/ईसीएचएस कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

प्र.2- पारिवारिक पेंशन की पात्रता के अनुमोदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- पारिवारिक पेंशन की पात्रता के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:-

(क) तीन प्रतियों में एमपीबी-501

(ख) एलपीसी-सह-डाटा-शीट

(ग) पति की जन्मतिथि का प्रमाण जैसे पैन कार्ड/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/पासपोर्ट/ईसीएचएस कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

प्र.3 मानसिक रूप से अक्षम/शारीरिक रूप से विकलांग बेटा/बेटी के संबंध में आश्रित पेंशन पात्रता के अनुमोदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- मानसिक रूप से अक्षम/शारीरिक रूप से विकलांग बेटा/बेटी के संबंध में आश्रित पेंशन पात्रता के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं-

(क) तीन प्रतियों में एमपीबी-501

(ख) तीन प्रतियों में एमपीसी-60

(ग) वैवाहिक स्थिति एवं बेरोजगारी सहित मानसिक रूप से अक्षम/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए कानूनी संरक्षण संबंधित एक मूल शपथ-पत्र।

प्र.4 - अविवाहित/तलाकशुदा और बेरोजगार बेटे के संबंध में आश्रित पेंशन पात्रता के अनुमोदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- अविवाहित/तलाकशुदा और बेरोजगार बेटे के संबंध में आश्रित पेंशन पात्रता के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं-

(अ) निम्नलिखित विवरण समेत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ली गई शपथ का हलफनामा:-

(क) माता-पिता का नाम

(ख) जन्मतिथि

(ग) वैवाहिक स्थिति

(घ) निर्भरता

(ड.) आय की स्थिति (3500 रु. प्रतिमाह \$ महंगाई भत्ता से अधिक नहीं)

(च) भाइयों और बहनों की वैवाहिक स्थिति समेत उनका विवरण

(ब) राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित नगर/पंचायत/राजस्व की ओर से एक प्रमाणपत्र, यह बताते हुए कि वह अविवाहित/तलाकशुदा और बेरोजगार है।

(स) जन्म/मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा माता-पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल/प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

प्र.5- पति की जन्मतिथि की अधिसूचना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- पति की जन्मतिथि की अधिसूचना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:-

(क) एलपीसी-सह-डाटा-शीट

(ख) पति की जन्मतिथि का प्रमाण जैसे पैन कार्ड/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/पासपोर्ट/ईसीएचएस कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

प्र.6 - पेंशन की संशोधित दरों के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- पेंशन की संशोधित दरों के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं-

(क) पेंशन वितरण एजेंसी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और फिर उनके द्वारा पीसीडीसीए (पी) अलाहाबाद को सीधे प्रस्तुत किया गया विधिवत अनुबंध-4 (पेंशन दर का संशोधन)।

प्र.7 - सेवा विवरण पुस्तिका जारी करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- सेवा विवरण पुस्तिका जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं-

(क) सादे कागज पर एक अनुरोधपत्र

(ख) पति के साथ वर्दी में (सेवानिवृत्ति पर अंतिम रैंक) बिना टोपी पहने दो फोटोग्राफ

(ग) यदि सेवानिवृत्ति पर पहले ही वही जारी की गई थी तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर की एक प्रतिलिपि।

प्र.8- युद्ध विधवाओं, शौर्य पुरस्कार विजेताओं और जो युद्ध में विकलांग हो गए थे उनको हवाई यात्रा रियायत कार्ड जारी करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- युद्ध विधवाओं, शौर्य पुरस्कार विजेताओं और जो युद्ध में विकलांग हो गए थे उनको हवाई यात्रा रियायत कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं-

(क) विधिवत अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो

(ख) सादे कागज पर एक अनुरोध पत्र

प्र. 9 - शैक्षणिक रियायत कार्ड जारी करने के लिए (केवल युद्ध के मामले में) कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

उत्तर- शैक्षणिक रियायत कार्ड जारी करने के लिए (केवल युद्ध के मामले में) आवश्यक दस्तावेज हैं-

(क) विधिवत अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो

(ख) सादे कागज पर एक आवेदन पत्र

उपर पूछे जाने वाले प्रश्न में उल्लेख किए गए परिशिष्ट निम्नानुसार हैं-

परिशिष्ट 1

प्रति,

विधिवत अनुप्रमाणित पेंशनभोगी
और उसके पति के पासपोर्ट
आकार के फोटो

..... (सेवा मुख्यालय/रिकार्ड कार्यालय)

.....

.....

विषय:- रह रहे सहस्र बल पेंशनरों की पेंशन भुगतान के विषय में परिवारिक पेंशन पात्रता का अनुमोदन

महोदय,

दिनांक 28.10.87 को पेंशन विभाग और पेंशनर्स कल्याण ओएम सं. 1/11/85-पी एंड पीडब्ल्यू और दिनांक 30.6.88 की रक्षा मंत्रालय ओएम सं. 6(4)/87/1369/बी/डी(पेन/एसईआरएस) के संदर्भ में। मैं एतद्वारा पीपीओ में परिवार पेंशन की पात्रता के अनुमोदन के लिए निवेदन करती हूँ। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैंः

(क) पेंशनभोगी का नाम :

(ख) रजि.सं./आईसी सं. :

(ग) अंतिम धारण रैंक :

(घ) सेवानिवृत्ति/भारमुक्ति की दिनांक :

(ङ.) अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में रिकार्ड कार्यालय का नाम :

(च) मूल पीसी/ पीपीओ सं. एवं वर्ष (पेंशन के मामले में: पेंशन सर्कुलर सं. और भाग व वर्णनात्मक क्रम सं. लिखें)

(छ) पेंशन निर्वहन प्राधिकरण का ब्यौरा:-

(क) स्टेशन -----

(ख) ट्रेजरी/डीपीडीओ/पीएओ/बैंक/पोस्ट ऑफिस:

(ग) पूरा पता सहित बैंक ब्रांच और एसबी खाता सं.

(ज) सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन का ब्यौरा :

(झ) अन्य स्रोतों से पारिवारिक पेंशन :

(त) यदि एक पारिवारिक पेंशन को किसी भी अन्य पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है तो स्वीकृति प्राधिकरण का नाम, पीपीओ सं. और पेंशन संवितरण प्राधिकरण का ब्यौरा:

(थ) यदि परिवार, किसी अन्य स्रोत से पारिवारिक पेंशन का पात्र है तो वह प्राधिकरण कौन सा है जो पेंशन स्वीकृत करेगा।

(द) परिवार को पेंशन की स्वीकृति दी गई हो या किसी अन्य स्रोत से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हों के मामले में, नौकरी की अवधि के लिए, जिसके लिए पेंशन की स्वीकृति दी गई है किसी अन्य स्रोत से परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए एक विकल्प पूर्वगामी पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। उपर वर्णित पीपीओ/पीसी सं. देखें।

(ध) पेंशन नियमों के अनुसार परिवार पेंशन के लिए पात्र परिवार का विवरण।

क्रम सं. परिवार के सदस्यों का	पेंशनभोगी के साथ संबंध	विवाह की तिथि	वैवाहिक स्थिति	जन्मतिथि
नाम और पता			(बेटियों के मामलों में)	

(न) श्रीमति की सत्यापित संयुक्त फोटोग्राफों को उपर चिपकाया गया है।

(सत्यापन किसी भी राजपत्रित अधिकारी, पेंशन संवितरण अधिकारी, सेवानिवृत्ति अधिकारी कार्यालय के प्रमुख, गांव के सरपंच, खण्ड विकास अधिकारी, विधायक/विधान परिषद के सदस्य आदि से कराया जा सकता है।)

(च) पति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

(छ) पहचान चिन्ह।

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे का निशान (महिलाओं के मामले में दाहिने हाथ का अंगूठा)

गवाह:	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
-------	-----	----------	-----------

1.

2.

2

उपर दिए गए ब्यौरों को उपलब्ध रिकार्डों से सत्यापित किया गया है.....

..... हमारे छोर पर सत्यापित किया जा सकता है।

कार्यालय स्टॉप सहित

(पीडीए के हस्ताक्षर)

3

सेवा प्रति रिकार्ड के संदर्भ में उपर दिए गए ब्यौरों को सत्यापित किया गया है।

(आर/ओ/संबंधित सेवा मुख्यालय के हस्ताक्षर)

4

साधारण परिवार पेंशन रुपये..... प्रतिमाह स्वीकृत, देखिए पीसीडीए (पी) पीपीओ सं.-

.....

एमपीसी 60 (संशोधित)

बेटे के गायब हो जाने/या मृत्यु हो जाने के मामले में सभी पेंशन या भत्तों से समर्थन के कुल साधनों का वक्तव्य

1. आवेदक का नाम: (मोटे अक्षरों में)

2. वर्तमान वार्षिक आय बताएं:

स्वयं पति

रु. रु.

(क) ओवरटाइम, बोनस, कमीशन आदि मिलाकर वेतन या भाड़ा

(ख) अपने खाते पर व्यापार, (अनुमानित वार्षिक आय)

(ग) वृद्ध या विधवा पेंशन, पेंशन संख्या लिखें.....

(इ) कोई अन्य पेंशन (रूपांतरित पेंशन या अनुदान सहित) विवरण दें

(च) आय के अन्य दूसरे स्रोत, विवरण दें

(कुल वार्षिक आय)

माता और पिता दोनों जीवित होने पर, उत्तर 3, 4, 5, 6 एवं 7 में माता व पिता दोनों को कवर किया जाना चाहिए।

3. यदि आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं या घर या कमरा देते हैं तो इस स्रोत से प्राप्त होने वाली कुल आय लिखें।

4. यदि आप जिस घर में रह रहे हैं उसके मालिक हैं तो नगर निगम के अधिकारियों से वार्षिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र संलग्न करें और लिखें:-

(ख) बकाया ऋण राशि.....

5. अगर किराए के आवास में रह रहे हैं तो मकान मालिक से किराए की रसीद संलग्न करें।

6. वस्तु के रूप में किसी भी अन्य लाभ का विवरण दें (उदाहरण के लिए, शुल्क बोर्ड)।

7. क्या आपने कोई धन बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में निवेश किया है? यदि हां, तो ब्यौरा दें.....

नोट- राशि और वार्षिक ब्याज/लाभांश के संबंध में नियोक्ता आदि, बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

8. मृतक के ऋण के लिए डीएसओपी निधि की राशि।

10. सौतेले बच्चों और गोद लिए बच्चों समेत अपने जीवित बच्चों का विवरण दें।

नाम	
लिंग	
जन्मतिथि	
विवाहित/अविवाहित/विदुर	
व्यवसाय	
प्र.मा. कुल आय	
आपके साथ घर में रहने वाले	
क्या आप पर निर्भर हैं यदि हां तो किस हद तक	
रहने और खाने के लिए भुगतान की गई राशि समेत	

परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए अंशदान की मासिक दर	
---	--

नोट- यदि बच्चा एक प्रशिक्षु है, तो उसको प्राप्त होने वाला वजीफा/भत्ता एवं तारीख, जिस पर प्रशिक्षुता समाप्त हो जाएगी और असाइनमेंट को स्वीकार करने पर दिया जाने वाला वेतन दर्शाएं।

पत्राचार और देरी से बचने के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म में सभी प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दिया गया है।

यह आवेदन एक आधिकारिक दस्तावेज है और अगर कोई व्यक्ति, जिसे यह पता है कि वह गलत है ऐसा पाए जाने पर यह एक कानूनी अपराध माना जाएगा।

11

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि इस फॉर्म में प्रश्नों के जवाब मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि मैंने हमारे/अपने सभी साधनों का खुलासा कर दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

आवेदक का पता:

(रक्षा सेवाओं का कोई भी कमीशन अधिकारी कप्तान या समकक्ष रैंक के नीचे नहीं, मजिस्ट्रेट या सेवारत नागरिक राजपत्रित अधिकारी व उनकी कार्यालय की सील/स्टांप)

पता:

दिनांक:

परिशिष्ट फॉर्म एमपीसी-60 (परि.बी) मृतक अधिकारी के माता पिता द्वारा पेंशन के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1. सामान्य- अनुपालन के लिए फॉर्म में दिए गए नोट्स सावधानी से पढ़ें।

2. भाग 1

एसईआर 1-6 - स्व-व्याख्यात्मक

3. भाग 2

एसईआर 7-10 स्व-व्याख्यात्मक

4. एसईआर 11 - किसी भी खाते पर आपके द्वारा प्राप्त किसी भी पेंशन, ग्रेच्युटी या भत्ता का विवरण यहां दिया जाना चाहिए।

कॉलम स्व-व्याख्यात्मक हैं और सभी कॉलमों को पूरा भरा जाना चाहिए।

5. एसईआर 12- अपने दावे के समर्थन में विस्तृत वित्तीय औचित्य दें।

6. भाग 3, 4 और 5 - स्व-व्याख्यात्मक

7. फॉर्म एमपीसी-60 - सभी क्रम स्व-व्याख्यात्मक हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जानकारी सही होनी चाहिए। सभी संपत्ति विधिवत प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित दिखाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी जानकारी को जानबूझकर छिपाया नहीं गया है।

अनुबंध 4

रक्षा मंत्रालय पत्र क्रं 17(4)/2008(1)/डी (पेन/पोल) दिनांक 11 नवंबर 2008 के अनुसार पेंशन में संशोधन के संबंध में पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा प्रिंसिपल सीडीए (पी), इलाहाबाद को सूचना के लिए फॉर्म

1. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी :-
2. आईसी सं. :-
3. जन्मतिथि और आयु :-
4. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि (पारिवारिक पेंशन के मामले में) :-
5. पीपीओ सं. :-
6. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि पर वेतनमान :-
7. अंतिम रैंक और समूह :-
8. अर्हक सेवा :-
9. बैंक/पेयिंग शाखा/ट्रेजरी/डीपीडीओ/पीएओ/पीओ का नाम :-
10. बीएसआर कोड सं. (बैंक के मामले में) :-
11. बचत बैंक खाता सं. टीएस/पीएस सं. (जो लागू नहीं उसे काट दें):-
12. संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन की गणना

		पेंशन	पारिवारिक पेंशन	*साधारण पारिवारिक पेंशन/संवर्धित पारिवारिक पेंशन
(क) (1)	मौजूदा बुनियादी पेंशन (पेंशन का रूपांतरित भाग, विकलांगता अंश अगर कोई हो तो/1 अप्रैल 2004 से पहले मृत/सेवानिवृत्त के संबंध में मौजूदा परिवार पेंशन को मिलाकर)			

(2)	सेवानिवृत्त/मौत सेवा में महंगाई पेंशन (1 अप्रैल 2004 के पूर्व स्थिति में)			
(3)	पेंशन के परिवर्तित भाग, विकलांगता, अगर कोई हो तो पारिवारिक पेंशन उनके लिए जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवा में मृत या सेवानिवृत्त हो चुके हैं को मिलाकर मूल पेंशन			
(4)	ए) और (बी) के अनुसार 24 प्रतिशत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर एआईसीपीआई (100) 536 तक महंगाई राहत			
(5)	समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन - अनुबंध 1 में तालिका 1 के कॉलम 1 के सापेक्ष यदि 1 अप्रैल 2004 के पहले सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुकी हो, अनुबंध 1 में तालिका के कॉलम 2 के सापेक्ष यदि 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुकी हो।			
(6)	रक्षामंत्रालय के पत्र के पैरा 5 के अनुसार संशोधित पेंशन दिनांकित (अनुबंध की तालिका के संदर्भ में)			
(7)	1 जनवरी 2006 से लागू संशोधित पेंशन (उपर (डी) और (ई) के बीच फायदेमंद)			

* (8)	रूपांतरित भाग घटाने के बाद संशोधित पेंशन			
(* यदि लागू न हो तो क्रॉस लाइन बनाएं)				

13. तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि रु.....

14. बकाया राशि की पहली किस्त।

15. बकाया राशि (1 किस्त) पर भुगतान

16. टिप्पणी यदि कोई हो तो

पेंशन संवितरण एजेंसियों के हस्ताक्षर एवं सील

बैंक ब्रांच :-

स्टेशन :-

जिला :-

प्रति

1.

1. प्रधान नियंत्रक (पेंशन)

2. पेंशनभोगी का नाम और पता

द्रोपदी घाट अलाहाबाद- 211014